ग्राम पंचायत महादेव, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 **द्वारा** पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय, लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत महादेव, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग **द्वारा** किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री नवीन	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति किरना कुमारी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति बिमला शर्मा	01.04.14 से 24.04.15
2	श्री राजेश सोनी	24.04.15 से 20.12.16
3	श्रीमति तारा देवी	21.12.16 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत महादेव, विकास खण्ड सुन्दरनगर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तर	0.26
2	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.37
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	17.72
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.27
5	8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	2.41
6	10	भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	0.31

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत महादेव, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी तथा श्री संतोष कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक **द्वारा** दिनांक 30.01.18 से 03.02.18 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	12/2014	08/2014
2015-16	11/2015	01/2016
2016-17	10/2016	12/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत महादेव, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिoप्रo) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 03 .02.18 **द्वारा** सचिव ग्राम पंचायत महादेव से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत महादेव **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत महादेव, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1954756.80	361019	2315775.80	48656	2267119.80
2015-16	2267119.80	385124	2652243.80	73080	2579163.80
2016-17	2579163.80	687459	3266622.80	123732	3142890.80

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत महादेव, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष

2014-15	312438.67	2857875	3170313.67	2631559.44	538754.23
2015-16	538754.23	3584179	4122933.23	2717242	1405691.23
2016-17	1405691.23	5116711.11	6522402.34	4749982	1772420.34

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹3142890.80

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹1772420.34

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹4941428.14

(परिशिष्ट संख्या – 02)

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि : ₹136

अन्तर: ₹26253

बैंक खाता संख्या	**राशि**
32510116124	85234
3250100163	990445.40
32510116126	20347
32510116123	14078
32510116125	43063
3250100146	3788260.74
कुल योग	**₹4941428.14**

4.1 रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.26 लाख अन्तर:-

ग्राम पंचायत, महादेव की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। परन्तु मिलान न करने के कारण दिनांक 31.03.2017 को बैंक खातों के शेष तथा रोकड़ बहियों के अंत शेष में ₹26253 का अंतर पाया गया अतः पंचायत **द्वारा** रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने व पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं- 01 दिनांक 01.02.2018 **द्वारा** पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया। अत: बैंक खातों का रोकड़ बहियों से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 पंचायत राजस्व ₹0.37 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि मोबाइल टावर शुल्क एवं गृहकर के रूप में वसूली हेतु ₹36630 शेष थी, अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

(क) गृह कर :-

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष की मांग	कुल योग	प्राप्ति	अंत शेष
2014-15	-	12960	12960	4910	8050
2015-16	8050	13000	21050	-	21050
2016-17	21050	13180	34230	-	34230

(ख) मोबाइल टावर फीस :-

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष की मांग	कुल योग	प्राप्ति	अंत शेष
2014-15	-	15000	15000	10200	4800
2015-16	4800	15000	19800	17200	2600
2016-17	2600	15000	17600	15200	2400

6 अनुदान ₹17.72 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1772420 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.27 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 में स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट- 5 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत **द्वारा** ₹227047 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

8 ₹2.41 लाख की क्रय सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट- 6 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत **द्वारा** ₹241178 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें ।

9 ₹15.82 लाख की सोलर लाइटस क्रय में अनियमितताएँ:-

पंचायत **द्वारा** वोचर संख्या 70 माह 12/16 के अंतर्गत 9 वाट की 113 सोलर लाइट्स मेसर्स जग ट्रेडिंग कंपनी सुन्दरनगर से बिल सं 66 दिनांक 20.11.16 **द्वारा** ₹14000 की दर से न्यूनतम भाव दरों पर क्रय की गई | इस क्रय में निम्न अनियमितताएँ पाई गई :-

(1) सरकार **द्वारा** सोलर लाइट्स की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत संस्था हिम उर्जा से क्रय नही की गयी जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये |

(2) भाव दरें आमंत्रित करने हेतु दिनांक 20.10.16 को दैनिक समाचार पत्रों दिव्य हिमाचल तथा दैनिक जागरण में विज्ञापन दिया गया, जबकि HPFR-2009 के नियम 102 (1) के अनुसार सरकारी राजपत्र/ गिरिराज(साप्ताहिक) में भी इसे विज्ञापित किया जाना अपेक्षित था |

(3) तकनीकी तथा जटिल (complex) क्रय होने के कारण नियम 102 (5) (a) के अनुसार फर्मों से technical bids प्राप्त नहीं किए गये |

(4) नियम 105 के अनुसार आपूर्तिकार संस्था से अनुरक्षण अनुबन्ध (maintenance contract) नहीं किया गया |

(5) नियम 106 के अंतर्गत क्रय की मात्रा/ राशी का 2 से 5 प्रतिशत earnest money प्राप्त नहीं किया गया |

उपरोक्त अनियमितताओं बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस क्रय को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए |

10 ₹0.31 लाख के भुगतान से सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत ना करना :-

चयनित मासों के व्यय की जाँच करने पर पाया गया की निम्न प्रकरणों में किए गये भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेख, संलग्न नहीं थे जिससे इन व्ययों की यथार्थता की जाँच नहीं की जा सकी । अतः इनसे सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध करवाए जाएँ अन्यथा भुगतान की गयी ₹30813 की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाए| किए गये भुगतानों का विवरण निम्नलिखित है ।

क्र.सं.	वो.सं./माह	विवरण	राशी	अंकेक्षण आपत्ति
1.	-	चौकीदार को माह 6/14 के परिश्रमिक का भुगतान	2000	पावती के अलावा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ
2.	-	चौकीदार के लिए वर्दी	1680	पावती के अलावा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ
3.	103 माह 1/16	टेलीफ़ोन बिल का भुगतान	1083	दूरभाष का मूल बिल उपलब्ध नहीं था
4.	105 माह 1/16	श्री जोगिन्द्र सिंह अधिवक्ता को legal fees का भुगतान	25000	पावती के अलावा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ
5.	108 माह 1/16	पंचायत सभा में जलपान	1050	पावती के अलावा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ
		कुल योग	**₹30813**	

11 पंचायत की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत **द्वारा** उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत **द्वारा** प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया

जाना अपेक्षित है जिससे इन पर ब्याज के रूप में अधिक आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत **द्वारा** इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वितिय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12 खाता वहियाँ तैयार न करना :-

जांच में पाया कि पंचायत में वर्ष 2014-15 में खाता वहियाँ तैयार नहीं की गई थी जबकि पंचायती राज वित्त नियम 29(1) के अन्तर्गत प्रारूप-7 व वित्त नियम-4 के अनुसार खाता वहियाँ तैयार करना अपेक्षित थी। जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी। अतः खाता वहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार खाता वहियाँ तैयार करना सुनिश्चित करें।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।
6. मोबाइल टावर की नवीनीकरण शुल्क के रख-रखाव का रजिस्टर तैयार न करना।

14 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

16 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 55/2018 खण्ड–1–3409–3412 दिनांक16.05.2018
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत महादेव, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी हि0प्र0

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046